न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 240/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

युग्रो कैपिटल लिमिटेड जरीये प्राधिकृत अधिकारी श्री हेमेन्द्र कुमार

शाखा कार्यालयः– 5th फ्लोर, आईबीसी टॉवर, अशोक नगर, सी–स्कीम, जयपुर (राज.) 302001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **नारायण मिनरल्स जरिये पार्टनर राजेन्द्र कुमार यादव,** सुरज धर्म कांटा के सामने, अजमेरी, नीम का थाना रोड़ के पास, सीकर (राज.) 332701
2. **आंची देवी पत्नी बाबु लाल यादव,** वार्ड न. 03, ढाणी सौ बीघा वाली, अजमेरी, रोड. के पास, सीकर (राज.) 332701
3. **रामनारायण यादव पुत्र श्योराम यादव** वार्ड न. 13, ढाणी 100 बीघा वाली, सीकर (राज.) 332701
4. **सुमित्रा देवी पत्नी बलराम यादव,** वार्ड न.–18, गंगा माई के मन्दिर के पास, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर (राज.) 334001
5. **सुप्यार देवी पत्नी जय नारायण यादव,** वार्ड न. 13, ढाणी सौ बीघा वाली, खटकर, रीको ऐरिया के पास, सीकर (राज.) 332701
6. **राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम नारायण यादव,** 183, ढाणी प्रभु अहीर, रोड़ के पास, सीकर (राज.) 332701
7. **सजना देवी पत्नी रामनारायण यादव,** वार्ड न. 13, ढाणी सौ बीघा वाली, खटकर, रीको ऐरिया के पास, सीकर (राज.) 332701

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 09 फरवरी, 2026

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.) ★

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **नारायण मिनरल्स जरिये पार्टनर राजेन्द्र कुमार यादव, आंची देवी पत्नी बाबु लाल यादव, रामनारायण यादव पुत्र श्योराम यादव, सुमित्रा देवी पत्नी बालराम यादव, सुप्यार देवी पत्नी**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जय नारायण यादव, राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम नारायण यादव, सजना देवी पत्नी रामनारायण यादव की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **हाईपोथिकेटेड चल संपतियां/मशीनरी** निम्नानुसार हैं:–

1. ON GRID SOLAR SYSTEM MODULE (LUMINOUS PANEL 550 WP, NON DCR GRID TIE INVERTER (LUMINOUS-3*80KW)
2. INSTALLATION AND COMMISSIONING ACDB, DCDB, LA-EARTHING AC-DC WIRE, NET METER SOLAR METER, STRUCTURE)

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹78,00,024/– (अक्षरे रूपये अठहतर लाख चौबीस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.04.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अमीलाल झांग उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण की राशि के भुगतान संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.04.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **नारायण मिनरल्स जरिये पार्टनर राजेन्द्र कुमार यादव, आंची देवी पत्नी बाबु लाल यादव, रामनारायण यादव पुत्र श्योराम यादव, सुमित्रा देवी पत्नी बालराम यादव, सुप्यार देवी पत्नी जय नारायण यादव, राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र राम नारायण यादव, सजना देवी पत्नी रामनारायण यादव** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक **हाईपोथिकेटेड चल संपतियां/मशीनरी** निम्नानुसार हैं:-

1. ON GRID SOLAR SYSTEM MODULE (LUMINOUS PANEL 550 WP NON DCR GRID TIE INVERTER (LUMINOUS-3*80KW)
2. INSTALLATION AND COMMISSIONING ACDB, DCDB, LA-EARTHING AC-DC WIRE, NET METER SOLAR METER, STRUCTURE)

उक्त सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **09 फरवरी, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)